



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 13 राँची, बुधवार 13 जेष्ठ, 1942 (श०)
3 जून, 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 93-97

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ****कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग****अधिसूचना****19 मई, 2020**

संख्या-4/नि० स०-12-12/2019-5449 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी सुश्री अमृता कुमारी (पंचम बैच, गृह जिला- कटिहार (बिहार)) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	AMRITA KUMARI- (110097710611)	DC OFFICE DUMKA	<u>SHIKARIPARA</u> <u>CIRCLE</u> <u>,DUMKA</u> Circle Officer	15/06/2016	06/11/2019

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह

सरकार के उप सचिव

जीपीएफ संख्या:DNB/POL/169

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

19 मई, 2020

संख्या-4/नि० स०-12-29/2019-5450 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री समरेश प्रसाद भंडारी (पंचम बैच, गृह जिला- धनबाद) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	SAMARESH PRASAD BHANDARY- (110047710586)	DC OFFICE WEST SINGHBHUM	<u>NOWAMUNDI BLOCK ,WEST SINGHBUM</u> Block Development Officer	15/06/2016	10/10/2019

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह

सरकार के उप सचिव

जीपीएफ संख्या:DNB/POL/169

HIGH COURT OF JHARKHAND

NOTIFICATION

1st June, 2020

No. 17/2020/R&S--In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Bihar Reorganisation Act, 2000 (Act XXX of 2000), and all other powers enabling in this behalf, the High Court of Jharkhand, Ranchi hereby amend **Rule 245 and Rule 247 of the High Court of Jharkhand Rules, 2001 as follows;**

“Rule 245. The fees hereinbefore provided shall be payable in advance at the time when the petition for service or execution is presented and shall be paid by means of Court-fee stamps affixed / e-payment of Court Fee to the petition in addition to the stamps necessary for its own validity.”

“Rule 247. The following fees shall be charged on every application made in respect of the following matters and such fees shall be paid by means of Court-fee stamps affixed/ e-payment of Court Fee to such application:—

_____”

Aforesaid amendment shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette of Jharkhand.

By order of the Court

Ambuj Nath

Registrar General

HIGH COURT OF JHARKHAND

NOTIFICATION**1st June, 2020**

No. 20/2020/R&S--In exercise of the powers conferred by Article 227(2) (b) of the Constitution of India, the High Court of Jharkhand, Ranchi hereby insert Rule 376 A in the Civil Court Rules of the High Court of Jharkhand as follows;

***“Rule 376A:** The fees as referred to in Part-V of the Civil Court Rules of the High Court of Jharkhand shall be collected by court fee stamps or e-payment of Court Fee.”*

Aforesaid amendment shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette of Jharkhand.

By order of the Court

Ambuj Nath

Registrar General
